



कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम, कोटा

दूरभाष नं० 0744-2472355, 2472216

आपातकालीन नं० 101 0744-2392201

ईमेल: cfokota101@gmail.com,



Smart Kota

स्वच्छ व हरित भारत

क्रमांक :-ननिको/फायर/2017/

दिनांक :-

नवीनीकरण अस्थाई अभिशंषा पत्र

प्रेषित :-

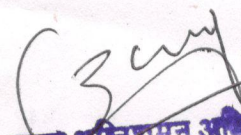
श्रीमान सचिव महोदय,
नगर विकास न्यास कोटा।

विषय:-ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि० द्वारा भू. स. 1, 2 कर्णेश्वर हाउसिंग योजना ट्रक यूनियन के पीछे एम.बी.एस. मार्ग कोटा में बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु नवीनीकरण अस्थाई अभिशंषा पत्र बाबत।

प्रसंग:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ननिको/फायर/2012/191 दिनांक 03.07.12 एवं ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि० के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि० के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 18.07.17 को इस विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्रांक ननिको/फायर/2012/191 दिनांक 03.07.12 भू. स. 1, 2 कर्णेश्वर हाउसिंग योजना ट्रक यूनियन के पीछे एम.बी.एस. मार्ग कोटा पर बहुमंजिला भवन/ईमारत (रिहायशी फ्लेट्स) निर्माण हेतु पूर्व में सलंगन नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करवाये जाने की अस्थाई अभिशंषा जारी की गई थी। भवन/परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर समय अवधि बढ़ाते हुए निर्माण कार्य करवाये जाने की पुनः आवेदक द्वारा इस विभाग से अस्थाई अभिशंषा चाही गई है। इस क्रम में मौका निरीक्षण किया गया एवं अग्निशमन की दृष्टि से इमारत निर्माण की नवीनीकरण अस्थाई अभिशंषा की जाती है, परन्तु ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि० के प्रतिनिधि को निम्न शर्तों का पालना करनी होगी

1. भवन/ईमारत का निर्माण नगर निगम कोटा की स्वीकृति के अनुसार प्रचलित नियमों के तहत करवाया जाना होगा।
2. भवन/ईमारत में फायर हाइड्रेंट, वेट-राइजर सिस्टम मय होज रील, होज-पाइप आदि, आपातकालीन बचाव की सीढ़ियां, स्प्रिंकलर सिस्टम, पम्प रूम, स्मोक डिटेक्टर, फायर एलार्म सिस्टम, आग बुझाने के लिये ओवर हेड एवं अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक मोड्यूलर, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्यूशर आदि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के अनुसार स्थापित किये जाने होंगे।
3. भवन/ईमारत के चारों ओर अग्निशमन वाहन की सरलता से पहुंच हेतु पर्याप्त खुला स्थान नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना होगा।
4. भवन की अधिकतम ऊंचाई 40 मीटर से अधिक स्वीकृत नहीं की जावे।
5. निर्माण किये जाने वाले भवन के चारों ओर एरियल हाईड्रोलिक लेडर प्लेट फार्म को प्रभावित स्थान तक पहुंचने हेतु व चारों तरफ घुमने व कार्य करने के लिए खाली स्थान (गलीयारा) रखना होगा।
6. आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन केन्द्र पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।
7. अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा के स्वीकृत नक्शे में वर्णित आवेदित स्थल का भूमि संबंधी कोई प्रकरण विचाराधीन/विवादित है तो इसके लिये आवेदनकर्ता स्वयं ही उत्तरदायी होगा इस संबंध में इस विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. फायर प्रिवेन्शन, फायर प्रोटेक्शन हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन में जो उपकरण लगाये जावे व व्यवस्था की जावे उनका टेस्ट व निरीक्षण निम्न हस्ताक्षरकर्ता से करवाकर अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र जारी होने के बाद ही भवन का उपयोग लिया


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, कोटा

- जा सकेगा। उक्त की पालना नहीं करने पर भूखण्ड मालिक/आवेदक अस्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र प्राप्तकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. भवन में धुआं निकासी के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप वेन्टीलेशन की उचित व्यवस्था करनी होगी।
 10. आवेदक को फायर शुल्क जमा कराना होगा। राशि निगम कोष में जमा करवाये जाने के पश्चात् ही अग्निशमन अभिशंषा मान्य होगी। अन्यथा अग्निशमन सुविधा सुदृढीकरण की राशि जमा नहीं होने पर उक्त अस्थाई अभिशंषा पत्र निरस्त कर दी जावेगी।

भवन/इमारत में स्थापित किए गये अग्निशमन यंत्र/उपकरण सदैव सही व कार्यशील अवस्था में रखने होंगे एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को उपयोग में लेने हेतु प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मचारी होना आवश्यक है। यह अस्थाई अभिशंषा पत्र जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होता है तो अवधि को बढ़वाये जाने हेतु अग्निशमन विभाग में पुनः नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं अस्थाई अभिशंषा पत्र अवधि समाप्ति पश्चात् स्थाई अग्निशमन अभिशंषा पत्र लेना अनिवार्य होगा एवं यदि कोई अग्निशमन प्रावधानों में त्रुटि/कमी पाई जाती है तो नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 के अन्तर्गत भवन को सील किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

- 8d -
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा

क्रमांक :-ननिको/फायर/2017/604-605
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-26/7/17

1. प्रतिनिधि ओम मेटल्स इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि0, झालावाड रोड अनन्तपुरा कोटा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम कोटा